<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–225/2019</u>

शेख कलाम..वादी
बनाम
शहनवाज आलाम एवं अन्य...प्रतिवादीगण

<u>20.06.2022</u> उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की ओर से दिनांक 27.05.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के वादी संख्या–01 की मृत्यु दिनांक 07.03.2022 को हो गई है तथा वह अपने पीछे दो पुत्र, एक पुत्री तथा अपने मृत पुत्र के पत्नी एवं बच्चे को छोड़ कर मरे हैं जो उनके विधिक वारिसान है। अतः उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से वादी द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन को खारिज करने योग्य बताया गया।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी संख्या–01 की मृत्यु हो गई है, जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते हैं। वादी का प्रस्तुत आवेदन नियत समयसीमा के अंदर है तथा आवेदन शपथपत्र द्वारा समर्थित है अतः न्याय हित में वादी का आवेदन स्वीकार किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत वादी संख्या–01 का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित उसके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें। अभिलेख दिनांक 19.07.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)